संख्या-5-2025-653-57-25-11-G-2021

प्रेषक,

रघुवीर
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 12 मार्च, 2025**

विषय:- जनपद अयोध्या में चौक सब्जी मण्डी स्थित मुहल्ला मच्छरहट्टा की नजूल भूखण्ड पर पब्लिक एम्निटीज एवं पार्किंग तथा जन सुविधाओं का विकास कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या के पत्र संख्या-75/2024-25, दिनांक 01.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परियोजना की द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में उल्लेख करना है कि जनपद अयोध्या में चौक सब्जी मण्डी स्थित मुहल्ला मच्छरहट्टा की नजूल भूखण्ड पर पब्लिक एम्निटीज एवं पार्किंग तथा जन सुविधाओं का विकास कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-993/57-2021-11(जी)/2021, दिनांक 29.12.2021 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 4147.12 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड. मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। तदोपरान्त प्रश्नगत परियोजना हेतु कार्य स्थल की भूमि पर अस्थायी सब्जी मण्डी के संचालन के दृष्टिगत समस्त दुकानदारों को विस्थापित करने तथा भूमि रिक्त कराने हेतु अस्थायी प्रकृति के टीन-शेड/कच्चे मकान/दुकानों की मूल्यांकित धनराशि रू0 228.55 लाख को सम्मिलित करते हुए परियोजना को पुनरीक्षित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र दिनांक 13.09.2022 तथा उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 14.12.2022 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में परियोजना की पुनरीक्षित प्रस्तावित लागत रू0 4375.67 लाख के सापेक्ष पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित एवं व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 4425.67 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-1587/57-23-11(जी)/2021, दिनांक 30.08.2023 द्वारा निर्गत किये गये है।

3- अत: इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में चौक सब्जी मण्डी स्थित मुहल्ला मच्छरहट्टा की नजूल भूखण्ड पर पब्लिक एम्निटीज एवं पार्किंग तथा जन सुविधाओं का विकास कराये जाने हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 4425.67 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

धनराशि रू0 2997.96 लाख (उन्तीस करोड़ सत्तानवे लाख छियानवे हजार रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या की होगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानिटरिंग भी की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या एवं मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 के अन्तर्गत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा एवं भविष्य में पुन: पुनरीक्षित लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का कार्यदायी संस्था द्वारा यदि कोई ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(14) इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-993/57-2021-11(जी)/2021, दिनांक 29.12.2021 एवं शासनादेश संख्या-1587/57-23-11(जी)/2021, दिनांक 30.08.2023 में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(15) कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(16) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

(17) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव /आगणन में पुराने लोहे की टंकी को तोडकर नये भवन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। ध्वस्तीकरण के पश्चात् मलवे से प्राप्त धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या का होगा।

(18) प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 50.00 लाख अनुमन्य किया गया है, जो विस्तृत विवरण के आधार पर देय होगा। अत: उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लि0 से विस्तृत लागत विवरण निर्माण से पूर्व प्राप्त किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या का होगा।

(19) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या एवं विभागाध्यक्ष का होगा।

(20) प्रायोजनान्तर्गत कार्य स्थल की भूमि पर अस्थायी सब्जी मण्डी के संचालन के दृष्टिगत समस्त दुकानदारों को विस्थापित करने तथा भूमि रिक्त कराने हेतु अस्थायी प्रकृति के टीन-शेड या कच्चे मकान/दुकानों के अनुमानित धनराशि का व्यय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(21) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार, वाराणसी से किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 29,97,96,000 (रुपये उनतीस करोड़ सत्तानबे लाख छियानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-084 लेखा शीर्षक 4250008000800 अयोध्या में पब्लिक एम्नेटीज एवं पार्किंग तथा जनसुविधा का विकास मानक मद-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रघुवीर)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-5-2025-653-57-25-11-जी-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।

3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

4- जिलाधिकारी, अयोध्या/वाराणसी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
6- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रघुवीर)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।